

सेवामें

D

2018/00096

क्र. 101/18 ज.प.प.

दि. 8-5-18

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
फूलियाकला (भीलवाडा)

विषय- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।
महोदयजी, पुर्वत पत्र अंकित पत्र 136 L.R Act

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी सुरेश मल पिता लक्ष्मण
जाति बैरवा निवासी को. रूई तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम को. रूई
पटवार मण्डल को. रूई के खाता संख्या 364 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति
बैरवा है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

सुरेश मल

प्रार्थी

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि. अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री सुरेश मल पिता लक्ष्मण की ग्राम को. रूई पो.मो. को. रूई
के खाता संख्या 364 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी
की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

सुरेश सुखवाण
पटवारी को. रूई
कलेक्टर-पो.मो. को. रूई

भूअ.नि.ओ
वृत्त.....

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री सुरेश मल पिता लक्ष्मण की ग्राम को. रूई
पो.मो. के खाता संख्या 364 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की
जाती है।

राजस्व अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार
फूलियाकला, जिला-भीलवाडा

क्र. 101/18 ज.प.प.

आदेश देखा कलेक्टर को दि. 8-5-18

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिप्रांश के प्रार्थी श्री सुरेश मल
पिता लक्ष्मण की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम को. रूई पो.मो. को. रूई
के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 364 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है।
अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।



सुरेश मल
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला
फूलियाकला, जिला-भीलवाडा